मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1825
31.07.2023 को उत्तर के लिए

वृक्षारोपण

1825. श्री नायब सिंह सैनी:
श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:
श्री रामशिरोमणि वर्मा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वृक्षारोपण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) गांवों में वृक्षारोपण अभियान चलाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कुरूक्षेत्र और खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर खंडवा के जनजातीय क्षेत्रों में वनीकरण की प्रगति का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसा आकलन करने का है; और
(ड.) क्या सरकार देश में वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ङ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित योजना नामतः राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) के माध्यम से वनीकरण गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य भारत में वन आवरण के संरक्षण, पुनःस्थापन एवं इसे बढ़ाना तथा जलवायु परिवर्तन से निपटना है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) मंत्रालय की प्रमुख वनीकरण योजना है, जिसे जन सहभागिता और विकेन्द्रीकृत वन प्रशासन के साथ चिन्हित कम वन क्षेत्रों में वनीकरण हेतु अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2000 से लागू किया गया है। एनएपी के तहत अपने शुरुआती वर्ष से वर्ष 2022-23 तक लगभग 3982 करोड़ रुपये के निवेश के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में वनीकरण के लिए 20 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र निर्धारित किया गया था। जीआईएम गतिविधियाँ वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुरू की गईं। अब तक, 153125 हेक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु सत्रह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को 755.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई हैं। एनएपी को जीआईएम के साथ विलय कर दिया गया है और वर्तमान में एकल योजना के रूप में लागू किया गया है। एनएपी और जीआईएम के तहत जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा, प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण निधि के तहत वनीकरण एक

प्रमुख गतिविधि है। इसके अलावा, वृक्षारोपण, एक बहु-विभागीय, बहु-एजेंसी गतिविधि होने के नाते, अन्य मंत्रालयों/संगठनों के विभिन्न कार्यक्रमों/निधियन स्रोतों के अन्तर्गत और राज्य योजना बजट के माध्यम से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता है।

मंत्रालय ने विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों विशेष रूप से वन महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वानिकी दिवस आदि जैसे अवसरों पर लोगों की भागीदारी के लिए कई परामर्शिकाएं जारी की हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपने वनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न वनीकरण अभियान चलाती हैं, जिसमें जन सहभागिता के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान भी शामिल है।

वनीकरण गतिविधियों की प्रगति का आकलन योजना विशिष्ट दिशानिर्देशों और राज्य विशिष्ट निगरानी प्रणालियों के अनुसार किया जाता है। जीआईएम गतिविधियाँ कुरूक्षेत्र और खंडवा निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू की गई हैं और हरियाणा एवं मध्य प्रदेश के राज्य वन विभाग जीआईएम कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित आधार पर किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

*****

अनुबंध

''वृक्षारोपण'' के संबंध में श्री नायब सिंह सैनी, श्री ज्ञानेश्वर पाटिल और श्री रामशिरोमणि वर्मा द्वारा दिनांक 31.07.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1825 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क: वर्ष 2000-02 से वर्ष 2022-23 तक एनएपी के तहत जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	आंध्र प्रदेश	133.26
2	बिहार	87.46
3	छत्तीसगढ	326.18
4	गोवा	0.64
5	गुजरात	233.19
6	हरियाणा	180.98
7	हिमाचल प्रदेश	78.38
8	जम्मू एवं कश्मीर	88.44
9	झारखंड	159.56
10	कर्नाटक	247.90
11	केरल	77.28
12	मध्य प्रदेश	277.59
13	महाराष्ट्र	317.30
14	ओडिशा	210.00
15	पंजाब	27.00
16	राजस्थान	75.04
17	तमिलनाडु	127.31
18	तेलंगाना	2.03
19	उत्तर प्रदेश	294.42
20	उत्तराखंड	108.24
21	पश्चिम बंगाल	62.89
	कुल (अन्य राज्य)	**3115.07**
	पूर्वोत्तर राज्य	
22	*अरुणाचल प्रदेश*	33.88
23	*असम*	87.13
24	*मणिपुर*	119.94
25	*मेघालय*	59.95
26	*मिजोरम*	211.10
27	*नागालैंड*	151.01
28	*सिक्किम*	106.72
29	*त्रिपुरा*	98.07
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	**867.80**
	कुल योग	**3982.87**

ख: वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 तक जीआईएम के तहत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य**	**जारी की गई कुल धनराशि (करोड़ रुपये में)**
1	आंध्र प्रदेश	6.19
2	अरुणाचल प्रदेश	34.71
3	छत्तीसगढ	72.75
4	हरियाणा	9.55
5	हिमाचल प्रदेश	17.09
6	जम्मू एवं कश्मीर	32.22
7	कर्नाटक	16.34
8	केरल	25.47
9	मध्य प्रदेश	91.03
10	महाराष्ट्र	10.30
11	मणिपुर	53.75
12	मिजोरम	139.08
13	ओडिशा	75.78
14	पंजाब	21.57
15	सिक्किम	22.98
16	उत्तराखंड	110.49
17	पश्चिम बंगाल	10.95
18	उत्तर प्रदेश	5.43
कुल		**755.68**